(27)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर म0 प्र0

प्रकरण क्रमांक III/निगरानी/दतिया/भू.रा./2018/0273

1– लक्ष्मन तनय भोले लोधी उम्र करीबन 70 वर्ष

2– सियाराम तनय भोले लोधी उम्र कररीब 72 वर्ष दोनों निवासीगण ग्राम लखनपुर तहसील व जिला दतिया म0 प्र0

.... प्रार्थी /आवेदकगण

बनाम

जगन तनय पन्नी लोधी निवासी ग्राम लखनपुर तहसील व जिला दतिया म. प्र.

.............प्रतिप्रार्थी / अनावेदक

प्रस्तुत 9-1-18 को प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-1-18 नियत। 19-1-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 9/1/18

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, उप तहसील बसई तहसील व जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 3/अ 6/2017–18 जगन लोधी बना लक्ष्मन लोधी में आदेश पत्रिका दिनांक 28–12–2017 में पारित आदेश के परिपेक्ष्य में ।

———

महोदय,

आवेदक की निम्नलिखित पुनरीक्षण याचिका माननीय मण्डल के समक्ष सादर प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–दतिया / भू0रा0 / 2018 / 273

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/10/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया।यह निगरानी तहसीलदार, उप तहसील बसई जिला दतिया के प्रकरण कमांक 3–अ–6 / 17–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–12–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा तहसीलदार, उप तहसील बसई जिला दतिया के प्रकरण कमांक 3–अ–6 / 17–18 में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया। 3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार, उप तहसील बसई जिला दतिया के प्रकरण कमांक 3–अ–6 / 17–18 में आये तथ्यों के अवलोकन से प्रकरण में निराकरण किया जाना है कि क्या प्रकरण में तहसीलदार ने केंप बसई के लिये गुरूबार का दिन नियत कर वादित प्रकरण की सुनवाई हेतु 29–12–17 नियत की है अथवा नहीं ? तहसीलदार वृत्त बसई ने उक्तांकित प्रकरण में सियाराम पुत्र भोले लोधी को सुनवाई के लिये जो सूचना पत्र जारी किया है उसमें नियत पेशी 29–12–17 स्थान बसई है। दूसरा सूचना पत्र लक्ष्मन लोधी पुत्र भोले लोधी निवासी लखनपुर को जारी हुआ है वह भी पेशी 29–12–17 स्थान बसई का है, जबकि तहसीलदार ने प्रकरण 28–12–17 को लेकर सियाराम के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही का	

आदेश दिया है तथा प्रकरण 4–1–17 को आदेश हेतु नियत कर दिया है? तहसीलदार का इस प्रकार का निर्णय नैसिर्गिक न्याय के सिद्वांतों के अनुरूप नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, उप तहसील बसई जिला दतिया के प्रकरण कमांक 3–अ–6/17–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28–12–2017 दोषपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार उप तहसील बसई समस्त हितबद्व पक्षकारों को नियमानुसार सूचना पत्र जारी करें तथा विधि के में दी गई व्यवस्था के अनुरूप सूचना पत्र का निर्वहन कराकर समस्त हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें।

सदस्य